पंचायत आम निर्वाचन, 2021

अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - पं.नि. 30-224/2021 - 3174

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
पश्चिम चम्पारण (बेतिया)

पटना, दिनांक - 19.8.21

विषय : पंचायत आम निर्वाचन,2021 : महिला के पैतृक गाँव (नेपाल) से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र पर चुनाव लड़ सकती है अथवा नहीं के संबंध में मार्गदर्शन।

प्रसंग : जिला पंचायत कार्यालय का पत्रांक 179 दिनांक 14.07.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से विवाहित महिला जिनके पिता का घर नेपाल में है, ऐसी परिस्थिति में नेपाल देश से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर महिला, पंचायत निर्वाचन में चुनाव लड़ सकती है अथवा नहीं के संबंध में दिशा-निर्देश की माँग की गई है।

उल्लेखनीय है कि सर्वमान्य स्थिति यही है कि किसी भी महिला की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से किया जाता है न कि उसके पति की जाति से।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरन्त निदेश दिये गये हैं कि विवाहित महिला, जिनके पिता का घर नेपाल में है, और वह महिला भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, ऐसी परिस्थिति में नेपाल देश से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर महिला पंचायत निर्वाचन में चुनाव लड़ने हेतु आरक्षण का दावा नहीं कर सकती है।

अंकनीय है कि नागरिकता के संबंध में CWJC No. 19108/2020 में पारित आदेश के पश्चात LPA No. 139/2020 (छायाप्रति संलग्न) में दिनांक 12.10.2020 को सभी पहलुओं पर पर विचारोपरान्त माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाए एवं उक्त निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-224/2021 - 3174 पटना, दिनांक - 19.8.21

प्रतिलिपि, सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।